सं. 7(2)/ई-V/2016

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 - 01.07.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सारणियां।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 05.07.2021 के अपने संकल्प सं.5(4)-बी(पीडी)/2021 के तहत यथा-अधिसूचित 7.1% की वार्षिक ब्याज दर (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा 01.07.2021 से 30.09.2021 तक की तिमाही के लिए तैयार की गई लाभार्थियों हेतु बचत निधि के लाभों की सारणियां, जो इस मंत्रालय के दिनांक 17.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही हैं, संलग्न हैं।

2. विद्यमान पद्धति के अनुसार संलग्न सारणियां दो श्रेणियों की हैं। जैसा कि अब तक होता था, इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है। बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे कर्मचारियों के लिए 10/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिन्होंने 01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अंतर्गत अधिदेशित अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।

बी.के. मंथन

(बी.के. मंथन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।

2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि (मानक सूची के अनुसार) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ।